भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-927

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय नुकसान

927. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उनके वित्तीय नुकसान को कम करने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं, जिसमें विफल रहने पर उन्हें निजीकरण का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इन डिस्कॉम के वित्तीय घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय इन राज्यों में डिस्कॉम को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है, यदि वे छब्बीस प्रतिशत इक्विटी बेचने, पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण स्थानांतरित करने, या 'ए' रेटिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने जैसे उपाय नहीं अपनाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सुधारों के परिणामस्वरूप बिजली शुल्कों में किसी भी संभावित वृद्धि या सेवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसानों और कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बिजली अधिक महंगी न हो और सेवाएं बाधित न हों?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण और संबंधित विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) के नियमों के तहत कार्य करती हैं। इसलिए, राज्य डिस्कॉम का निजीकरण केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है।

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, वितरण यूटिलिटी का एक दक्ष, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली बनाए रखने का कर्तव्य है। इसके अलावा, इस खंड में किसी भी अक्षमता का पूरे मूल्य श्रृंखला पर एक कैस्केडिंग प्रभाव पड़ता है, उनके संचालन को बाधित करता है और वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय विद्युत खपत का बहुत बड़ा हिस्सा (48%) है। हालांकि, वित्तीय संकट भी इन राज्यों में केंद्रित है और यह वितरण यूटिलिटी की कुल संचित हानियों का 69% और कुल बकाया ऋण का 66% है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन राज्य वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों का विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

सोलहवें वित्त आयोग ने उल्लेख किया है कि सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में, डिस्कॉम में तकनीकी हानियों, चोरी, कम बिलिंग और कम संग्रह के माध्यम से रिसाव को रोकने में उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की कमी है। आयोग ने सिफारिश की है कि समस्या का पहला सबसे अच्छा समाधान डिस्कॉम का निजीकरण है। वैकल्पिक रूप से, यदि सार्वजनिक स्वामित्व ढांचे के भीतर समाधान मांगा जाता है, तो गुजरात और हरियाणा राज्य दो उदाहरण हैं जो अनुकरणीय हैं।

(घ) : भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी को उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से आरडीएसएस शुरू की गई है। स्कीम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जुड़ा है।
ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5% की अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर आधारित है।
iii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन पर निर्भर हैं।
iv. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल हो सके।
v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों और वितरण यूटिलिटी के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं। एटीएंडसी हानियों में कमी से यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, जिससे वे प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाए रख सकेंगे और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत खरीद सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 927

अनुबंध-I

वर्ष 2024-25		
राज्य	**लाभ/(हानि) कर पश्चात (पीएटी) (करोड़ रुपये)**	**संचित अधिशेष/हानि (करोड़ रुपये)**
आंध्र प्रदेश	190	(29,420)
मध्य प्रदेश	(2,561)	(71,394)
महाराष्ट्र	1,292	(35,671)
राजस्थान	1,262	(90,303)
तमिलनाडु	2,073	(1,19,153)
उत्तर प्रदेश	(10,796)	(1,00,858)
राष्ट्रीय	**2,701**	**(6,47,210)**

****